

भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1640
जिसका उत्तर मंगलवार, 02 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

तुली पेपर मिल का पुनरुद्धार

1640. श्री येपथोमी तोखेहो:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने नागालैंड में तुली पेपर मिल के पुनरुद्धार की प्रक्रिया शुरू कर दी है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और
- (ग) यदि नहीं, तो पुनरुद्धार कार्य को कब तक शुरू किया जाएगा?

उत्तर

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री अरविंद गणपत सावंत)**

(क) से (ग) नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी (एनपीपीसी), जिला तुली, नागालैंड हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन (एचपीसी) की एक सहायक कंपनी है। यह यूनिट वर्ष 1992 से प्रचालन में नहीं है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने दिनांक 13.06.2018 के आदेश के माध्यम से एचपीसी के विरुद्ध इन्सोल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (आईबीसी), 2016 के तहत कार्पोरेट इन्सोल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस (सीआईआरपी) आरंभ करने का निदेश दिया। एनसीएलटी ने दिनांक 02.05.2019 को मामले की सुनवाई के दौरान एचपीसी के परिसमापन का आदेश दिया है।
